योग्यता के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, बी० ए०, उच्चतर माध्यमिक तथा मैट्रिक की योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। तथापि, अवर श्रेणी लिपिक श्रेणी में 10% रिक्तियाँ, विभागीय परीक्षा के आधार पर भरी जाती है जिसके लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी पात्र होते हैं। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में लिखित परीक्षा के अर्हता मानदण्डों में छूट देने का प्रश्न है, यह छूट, इस बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन अनुमत सीमा तक दी जाती है। अवर श्रेणी लिपिक के शेष पदों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिपिक श्रेणी परीक्षा के आधार पर भरा जाता है।

(घ) दिल्ली नगर निगम की केन्द्रीयकृत श्रेणी में "अटेंडेंट" का कोई पद नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) अन्य श्रेणियों में प्रोन्नति, कड़ाई से, सम्बद्ध पद के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के आधार पर ही की जाती है।

Infiltration of Bangladeshi Muslims into India

3066. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a letter published in the Assam Tribune dated the 28th October, 1992 by a London based Indian alleging that infiltration of Bangladeshi Muslims into India is being planned by the Islamic Cultural Centre based in London and whether Government have this information from its own sources as well; and

(b) if so, whether the matter would be investigated both in India as well as in the U.K.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) Government are aware of the news-letter as well as about the activities of London based Islamic Cultural Centre. The Centre is being financed and controlled by Saudi Arabia for organising the meetings, etc. in support of various Muslim issues. A number of steps have been taken both by the Central Government and the State Governments to prevent infiltration from Bangladesh into India.

पटाखों के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिये कदम

3067. श्री शांति त्यागी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दीपावली के अवसर पर झरिया (बिहार) में पटाखों की एक दुकान में लगी आग के कारण 25 व्यक्ति मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दीपावली के उत्सव में मौके पर पटाखों के कारण देश भर में कितने व्यक्ति मारे गए और आग लगने के कारण कितने स्थानों पर सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, जिनसे जान और माल की हानि होती है, कोई उपाय करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) राज्य अग्नि शमन अधिकारी, बिहार, से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दीपावली के अवसर पर झरिया में (बिहार) पटाखों की दुकानों में लगी आग के कारण 23 व्यक्ति मारे गए और 15 जख्मी हुए।

(ख) विभिन्न राज्यों से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखों के कारण 31 व्यक्तियों की जाने गई। इस बारे में अलग-अलग ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:—

दिल्ली — 4
हरियाणा — 4